

आरोप

क्या मिलीभगत से चल रहा खेल? कुछ प्रभावशाली वाहन स्वामी वर्षों से बिना टैक्स चुकाए मालवाहक वाहनों का कर रहे संचालन

करोड़ों की टैक्स चोरी पर प्रशासन कटघरे में, कार्यशैली पर सवाल



डिंडौरी, नवभारत 7 अप्रैल। जिले में परिवहन व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपये की वाहन कर (टैक्स) चोरी के आरोपों के बावजूद जिम्मेदार विभाग की चुप्पी अब संदेह की ओर गहरा रही है। सवाल सौधा है क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर अंदरखाने कोई बड़ा गठजोड़?

क्या प्रभाव के आगे नतमस्तक हुआ विभाग

वीरेंद्र केशवानी द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र में खुलासा किया गया है कि जिले के कुछ प्रभावशाली वाहन स्वामी वर्षों से बिना टैक्स चुकाए अपने मालवाहक वाहनों का संचालन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन वाहनों का पंजीयन विधिवत जिला परिवहन कार्यालय में दर्ज है,

लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद से वर्ष 2026 तक कर अदायगी नहीं की गई। इसके बावजूद ये वाहन सड़कों पर बेधड़क दौड़ते रहे और विभाग आंखें मूंदे बैठा रहा।

कैसे जारी हुए परमिट और फिटनेस

इस पूरे में मामले में सबसे चॉकाने वाला पहलू यह है कि बिना टैक्स भुगतान के भी इन वाहनों को परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए। यह तथ्य सीधे-सीधे परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। क्या बिना मिलीभगत के यह संभव है? या फिर नियमों को जानबूझकर ताक पर रखा गया?

एक और गंभीर खुलासा सामने आया

मामले में एक और गंभीर खुलासा

सामने आया है। कुछ एम्बुलेंस वाहन, खासकर टाटा 407, जिनका शासन से अनुबंध समाप्त हो चुका था, उन्हें नियमों के विरुद्ध बॉडी कटिंग कर मालवाहक वाहनों में बदल दिया गया और व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा है। यह न केवल कानून का खुला उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ऐसे वाहनों को रोकेने के बजाय विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

जताया संगठित टैक्स चोरी का संदेह

शिकायत में यह भी आशंका जताई गई है कि यह गड़बड़ी केवल डिंडौरी तक सीमित नहीं है, बल्कि मंडला, शहडोल और जबलपुर जैसे जिलों में भी इसी तरह का खेल चल रहा हो सकता है। यदि ऐसा है, तो यह एक संगठित टैक्स

चोरी का बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है।

जिला प्रशासन पर टिकी निगाह

बता दें कि उक्त मामले ने प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब करोड़ों के राजस्व की चोरी खुलेआम हो रही हो, तो आम नागरिकों से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं—क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों से वसूली की जाएगी, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? बहरहाल इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी दीपक भलावी से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

एबीवीपी ने किया चकाजाम, दो घंटे आवागमन प्रभावित

नए भवन में कक्षाएं संचालित करने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन



अमरपुर नवभारत 7 अप्रैल। शासकीय महाविद्यालय अमरपुर के आखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को साप्ताहिक हाट बाजार के दिन दोपहर चक्का जाम किया गया, जिससे लगभग दो घंटे आवागमन यंत्री तरह प्रभावित रहा। इस दौरान यंत्री एवं आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि महाविद्यालय का नवनिर्मित भवन एक वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हो चुका है, इसके

बावजूद अब तक उसका हस्तान्तरण नहीं किया गया है, जिससे महाविद्यालय वर्तमान समय में जर्जर हाईस्कूल भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसके कारण छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नए भवन में शीघ्र कक्षाएं संचालित करने की मांग

एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नए भवन में शीघ्र कक्षाएं संचालित करने की मांग करते हुए चकाजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जहां पर

यह भी कहा गया कि जनप्रतिनिधि द्वारा लोकार्पण होने के उपरांत ही हस्तान्तरण किया जाना है। जिस पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनप्रतिनिधि ही लोकार्पण क्यों करेंगे? महाविद्यालय के किसी उत्कृष्ट छात्र के हाथों लोकार्पण कराकर संस्था का संचालन प्रारंभ कराया जाय।

समझाइश के बाद चकाजाम समाप्त किया

प्रदर्शन के दौरान मौके पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट शैलेश गौर, थाना प्रभारी समनापुर हरिशंकर तिवारी एवं पुलिस चौकी अमरपुर प्रभारी संतोष यादव के समझाइश एवं जल्द ही समाधान का आश्वासन के बाद चकाजाम समाप्त किया गया। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जानकारी दी कि चकाजाम की सूचना भी नहीं दी गई। अचानक चकाजाम होने पर यंत्री व आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम डिंडौरी के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

निकाली गई जल संरक्षण संवर्धन जागरूकता रैली



महेंदवानी में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

शहपुरा नवभारत 7 अप्रैल। विकासखंड महेंदवानी में जल गंगा विभाग नवभारत 2026 के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश

संवर्धन की शपथ दिलाई गई तथा जल के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

जल बचाने का दिया संदेश—कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा जल संरक्षण संवर्धन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें जल बचाने एवं उसके समुचित उपयोग का संदेश आमजन तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर विकासखंड समन्वयक सुशीला ठाकुर, मेटर्स सहित एमएसडब्ल्यू एवं बीएसडब्ल्यू के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जल स्रोतों के संवर्धन को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है।

जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक धर्मेश चौहान की उपस्थिति में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय महाविद्यालय में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं के साथ जल संवादा आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को जल संरक्षण एवं

करंट का जाल बना बाघों का काल, लगातार हो रही मौतें



बांधवगढ़-उमरिया में एक माह में तीन बाघों की गई जान, हाईकोर्ट सख्त

मंडल क्षेत्र में एक और बाघ की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस ताजा घटना के बाद बीते एक माह में करंट से मरने वाले बाघों की संख्या तीन तक पहुंच गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शिकारियों द्वारा जंगली सुअर एवं अन्य वन्यजीवों के शिकार के लिए अथैव रूप से बिछाए गए बिजली के तार इन घटनाओं की मुख्य वजह हैं।

विहार नवभारत 7 अप्रैल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उमरिया वन मंडल में बाघों की लगातार हो रही अप्राकृतिक मौतों ने न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देशभर में चर्चित इस टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सोमवार 6 अप्रैल को उमरिया वन

ही गंभीर रूप से झूलस जाता है। यही जाल अब बाघों के लिए काल बनता जा रहा है। वन सृष्टि के अनुसार, उमरिया और पड़ोसी शहडोल वन मंडल में पिछले कुछ महीनों में कम से कम चार बाघों की मौत करंट लगने से हो चुकी है।

वर्ष 2026 में 16 दिनों में हुई थीं तीन बाघों की मौत

इसके अलावा वर्ष 2026 की शुरुआत भी चिंतनकर रही, जब महज 16 दिनों के भीतर तीन बाघों की मौत की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं ने वन विभाग की निगरानी, शरती व्यवस्था और खुफिया तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते 18-19

मार्च 2026 को मानपुर बफर क्षेत्र में एक लगभग पांच वर्षीय बाघिन को गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया था। उसे तत्काल उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

हाईकोर्ट से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की लगातार बढ़ती इन घटनाओं को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई है। न्यायालय ने वन विभाग से बाघों की हो रही अप्राकृतिक मौतों पर विस्तृत स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट की सख्ती के बाद विभागीय स्तर पर

बैठकों और निर्देशों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में अपेक्षित सुधार अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है।

कई स्तरों पर हो रही लापरवाही

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं कई स्तरों पर लापरवाही को दर्शाती हैं। एक ओर जहां अथैव शिकारियों के होसले बुलंद हैं, वहीं दूसरी ओर वन विभाग की शरती व्यवस्था और तकनीकी निगरानी पर्याप्त प्रभावी नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के नाम पर भी कई बार अथैव रूप से करंट प्रवाहित किया जाता है, जो वन्यजीवों के लिए घातक साबित होता है।

कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी

डिंडौरी। उद्यान विभाग में लापरवाही पर अब सख्ती शुरू हो गई है। कार्यालय सहायक संचालक उद्यान विभाग ने सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी राकेश कुमार धुर्वे के खिलाफ अनाधिकृत अनुपस्थिति को लेकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जारी नोटिस के मुताबिक, धुर्वे 4 अप्रैल 25 से लगातार अपने कर्तव्य स्थल से गायब हैं। हैरानी की बात यह है कि विभाग द्वारा पहले भी कई बार पत्र भेजकर उन्हें कार्य पर लौटने के निर्देश दिए गए, लेकिन न तो उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। कार्यालय ने साफ किया है कि बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहना मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 का उल्लंघन है और इसे सीधे तौर पर कदाचार माना जाएगा। विभाग ने कर्मचारी को 15 दिनों के भीतर ड्यूटी जॉइन कर लिखित स्पष्टीकरण देने का अंतिम मौका दिया है। चेतावनी भी साफ है—यदि तय समय सीमा में जवाब नहीं मिला, तो एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खुलेआम अहाता में देर रात तक छलक रहे जाम

भारी मात्रा में प्रतिदिन अमरपुर मुख्यालय के अंदर खप रही अथैव शराब, क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश

अमरपुर नवभारत 7 अप्रैल। जिले के अमरपुर मुख्यालय में खुलेआम अथैव शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय सौहार्द भंग हो रहा है तो वहीं आप दिन विवाहित स्थितियों निर्मित हो रही हैं। शाम ढलते ही मुख्यालय के अनेक स्थानों पर अथैव शराब की बिक्री होते हुए देखी जा सकती है, जबकि इस क्षेत्र में अधिकृत अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकानें संचालित नहीं हैं। बावजूद अमरपुर मुख्यालय में भारी मात्रा में शराब लाकर खपाई जा रही है, जिस पर अक्रुश लगना जरूरी हो गया है।

महिलाएं व युवतियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं—लगातार अथैव शराब बिक्री क्षेत्रीय जनो के लिए चिंता का विषय बनी हुई है तो वहीं शराब के नशे में मदहोश शराबियों के अमर्यादित शब्द क्षेत्रीय लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। शराबियों की करतूत से महिलाएं, युवतियां एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जनकारों की मानें तो अमरपुर मुख्यालय में लगभग 8 से 10 स्थान ऐसे हैं जहां सुबह से ही अथैव शराब



की बिक्री शुरू हो जाती है। लगभग तीन ऐसे स्थान हैं जहां खुलेआम अथैव शराब बिक्री के साथ ही शराब परोसी जा रही है। इन अथैव अहाता पर शाम होते ही बड़ी संख्या में शराबी एकत्रित होकर जाम छलकाते हुए देखे जा सकते हैं। देर रात तक यहां शराबी अपनी महफिल गुलजार करते हुए जाम से जाम टकराते हैं।

संचालन संबंधित कोई भी दस्तावेज इनके संचालनकर्ताओं के पास नहीं है, बावजूद इसके अहाता रोशन हो रहे हैं।

लोक सेवा केंद्र के सामने शराब की खाली शीशियों का पहाड़—बता दें कि मुख्यालय में संचालित लोक सेवा केंद्र के सामने खाली मेदान में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से खाली शराब की बोतलें, डिस्पोजल, पनी और पानी पाउडर फेंके गए हैं। जो एक पहाड़ बन चुका है, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्यालय में किस प्रकार अथैव रूप से शराब का विक्रय जोरों पर चल रहा है।

इनका कहना है

अमरपुर में अथैव शराब के चलते युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में फंसती जा रही है। नवागम चोकी प्रभारी से मांग है कि वह इस पर तत्काल बंदीश लगाए।

रामनाथ उडे सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुर

योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का लिया संकल्प



करजिया मंडल में मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस

डिंडौरी, नवभारत 7 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के करजिया मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास और उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल के विभिन्न केंद्रों एवं बूथ स्तरों पर विशेष तैयारियों को गई थीं, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सवों माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के पितृ पुरुषों पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यापण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। कार्यकर्ताओं ने उनके

विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन

इस दौरान आयोजित विचार गोष्ठी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप ताम्रकार ने पार्टी के इतिहास, उसकी मूल विचारधारा एवं 'अंत्योदय'—अर्थात् समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के संकल्प—पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में सियाराम साहू, यासीन खान, कलाम खान, मोडिया प्रभारी ललित पनारे एवं नरबद चावले सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शहपुरा में स्थापना दिवस पर ध्वज फहराकर भारत माता के लगाए जयकारे



शहपुरा नवभारत 7 अप्रैल। नगर के कृषि उपज मंडल प्रांण रश्मि भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक के समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराकर भारत माता के जयकारों के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई एवं लालकृष्ण आडवाणी थे। पूर्व में यह जनसंघ पार्टी थी, इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बाद में यह जनता पार्टी हुई फिर 6 दिसंबर 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेई को चुना गया और आज वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है।

जरूरतमंदों के लिए एक नई शुरुआत—शारिया सेवा समिति की यह पहल समाज में व्याप्त पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए यह संदेश देती है कि पुनर्विवाह न केवल स्वीकार्य है, बल्कि जरूरतमंदों के लिए एक नई शुरुआत का अलंकार भी है। इस आयोजन ने शारिया मेहरा समाज सहित पूरे क्षेत्र में सकारात्मक चर्चा को जन्म दिया है और यह पहल सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।



आदर्श पुनर्विवाह का किया आयोजन समाज को दिया सकारात्मक संदेश

शहपुरा नवभारत 7 अप्रैल। बदलते सामाजिक परिवेश में जहां एक ओर कुरीतियां अब भी जकड़े हुए हैं, वहीं शहपुरा में शारिया सेवा समिति ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए आदर्श पुनर्विवाह का आयोजन कर समाज के सामने नई दिशा प्रस्तुत की है। शारिया धर्मशास्त्र में संपन्न यह विवाह न केवल दो जीवनों का मिलन रहा, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव का सशक्त संदेश भी बनकर उभरा। समिति के मार्गदर्शन में ग्राम मानिकपुर निवासी दिनेश कुमार (पिता - जगेंद्र प्रसाद) एवं ग्राम जिमरा निवासी नेहा बाई का विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों एवं आपसी सहमति से पूरे विधि-विधान के साथ सम्पन्न कराया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, समाज के वरिष्ठजन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने नवदंपति को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की।

जरूरतमंदों के लिए एक नई शुरुआत—शारिया सेवा समिति की यह पहल समाज में व्याप्त पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए यह संदेश देती है कि पुनर्विवाह न केवल स्वीकार्य है, बल्कि जरूरतमंदों के लिए एक नई शुरुआत का अलंकार भी है। इस आयोजन ने शारिया मेहरा समाज सहित पूरे क्षेत्र में सकारात्मक चर्चा को जन्म दिया है और यह पहल सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुढ़ार रोड गोरतरा, जिला शहडोल-484001 (म.प्र.)

E-mail: ropcbshahadol@gmail.com

लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित दिनांक 01.12.2009 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 12.12.2018 के प्रावधानों के अनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स यश लॉजिस्टिक्स प्रा.लि. बघरौली सानी बाक्साइड ब्लॉक अवैतित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:- Mining of Minerals, Capacity Expansion is Proposed from 9781 TPA Bauxite to ROM Capacity of 142538 TPA (52877 TPA of Bauxite and 89661 TPA of Overburden), Area: 20.151 Hect. खसरा नं. 156, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 166, 167, 170, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 234/2, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 372, 249, 163, 165, 168, 169/1, 173, 175, 177, 186, 189, 234/1, 244 (क्षमता विस्तार हेतु) की ग्राम बघरौली सानी, तहसील बजाग, डिंडौरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई आयोजित की जा रही है। बाक्साइड ब्लॉक अंधवन द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में मुख्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोपाल के समक्ष लोक सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित बाक्साइड ब्लॉक (क्षमता विस्तार) के परिपेक्ष्य में पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए. रिपोर्ट) एवं कार्यकारी सारांश हिन्दी एवं अंग्रेजी में जन सामान्य के अवलोकनार्थ कलेक्टर कार्यालय, डिंडौरी, जिला पंचायत कार्यालय डिंडौरी, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र डिंडौरी, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय बजाग, जिला डिंडौरी, कार्यालय ग्राम पंचायत बघरौली सानी, तहसील बजाग, जिला- डिंडौरी (म.प्र.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल तथा क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, अरवा कालोनी, रविशंकर नगर, मोपाल में उपलब्ध है तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोपाल की अधिकृत वेबसाइट पर अवलोकित किया जा सकते हैं।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रस्तावित बाक्साइड ब्लॉक (क्षमता विस्तार) के संबंध में पर्यावरण प्रभाव एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधित सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति, मत, अभिमत प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के अंदर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल के गोरतरा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त प्रस्तावित बाक्साइड ब्लॉक (क्षमता विस्तार) की लोक सुनवाई तिथि/दिनांक 12/05/2026 दिन- मंगलवार, समय 12.00 P.M. बजे, स्थान- परियोजना स्थल, ग्राम- बघरौली सानी, तहसील बजाग, जिला- डिंडौरी (म.प्र.) में निर्धारित की गयी है, जिससे इच्छुक व्यक्ति/नागरिकण सम्मिलित होकर प्रस्तावित बाक्साइड ब्लॉक के संबंध में अपने मत/ सुझाव/ विचार/ टीका-टिप्पणी एवं आपत्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

(डॉ. अशोक तिवारी) क्षेत्रीय अधिकारी